

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

संख्या- 46 / डी0एल0आर0सी0 / 2019

दिनांक-28 फरवरी, 2020

सेवा में

अधिकासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

विषय :-सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-1714 / सौंगबांधपेयजलपरि0 / अ0पु0ख0ऋ0 / 2019 दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में उपजिलाधिकारी डोईवाला को जांचोपरान्त सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण पर उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा पत्रांक-434 / र0का0-2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 के द्वारा आख्या उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

अतः उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा प्राप्त उक्त पत्र संख्या-434 / र0का0-2020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।



(रामजी शरण शर्मा)
अपर जिलाधिकारी (प्र०)
देहरादून

क शाखा का नाम

114

1-10/1/20

1

प्रेषक,

तहसीलदार
डोईवाला।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

द्वारा -

उप जिलाधिकारी, डोईवाला।

पत्रांक:

434/र0का0-2020

विषय:-

सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

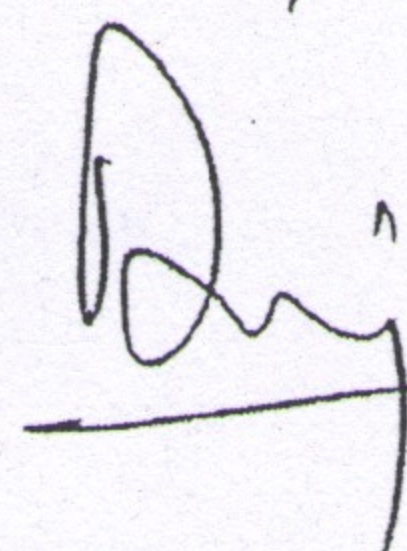
महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के सम्बन्ध में रा0उ0नि0 सनगांव से आख्या मांगी गयी। उनके द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया कि ग्राम प्लेड में सौंग बांध पेयजल परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों में कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

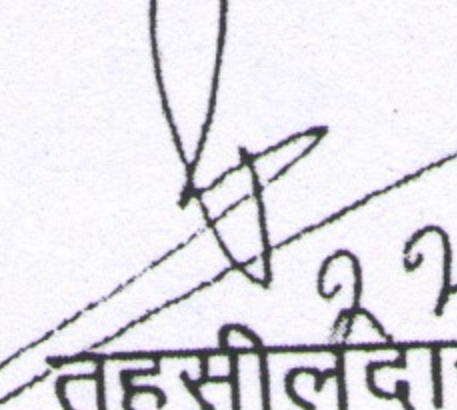
अतः उक्त सूचना शून्य अंकित करने की कृपा करे।

महोदय,

अगुसारित,


Som Jaiwala
23/01/20

भवदीय,


22.1.2020
तहसीलदार
डोईवाला।

23/01

431
28/1/20

ADM (2)

SLAO (AJA-III)



25.1.2020

ADM (CE)
28/1/2020

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-491/41-08 (2018-19), दिनांक नई टिहरी 16 जनवरी, 2020.
सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
ऋषिकेश।

विषय- सौंग बौध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1741/सौंगबापेपरि/अपुखण्ड/2019, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो सौंग बौध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में है। उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी धनोली से जांच करायी गयी है। उप जिलाधिकारी धनोली ने अपनी जांच रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि तहसील धनोली के राजस्व उप निरीक्षक मठियाणगांव के ग्राम रगड़गांव, घुड़सालगांव व राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र ल्वाखा के ग्राम सौन्दणा के अन्तर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति का काश्तकार नहीं है।

अतः उक्त प्रकरण के संबंध में उप जिलाधिकारी धनोली की जांच आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

कार्यालय अधिशाली अभियन्ता
अवस्थापना (पु) खण्ड ऋषिकेश
जायरी संख्या 164
दिनांक 25-01-2020

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रेषक,

तहसीलदार,
धनोल्ती।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

द्वारा—

उपजिलाधिकारी धनोल्ती।

पत्रांक—

विषय—

म.ग. / रजि.का. / विविध-2020 / धनोल्ती दिनांक जनवरी 8, 2020
सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में।

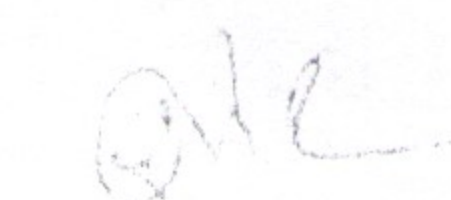
महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 458/41-08(2018-19) दिनांक नई टिहरी 07 जनवरी 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से सौंग बांध पेयजल परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति न होने के प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना चाही गयी है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि तहसील धनोल्ती के रा.उ.नि. मठियाणगांव के ग्राम रगडगांव, धुडसालगांव व राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ल्वाखा के ग्राम सौन्दणा के अन्तर्गत कोई भी अनुसूचित जनजाति का कारतकार नहीं है। इस विषय के सम्बन्ध में सूचना शून्य समझी जाय।

अतः सूचना महोदय की सेवामें प्रेषित।

भवदीय,



तहसीलदार,
धनोल्ती।

तहसीलदार धनोल्ती की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

उपजिलाधिकारी,
धनोल्ती।